सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः— 152/दावा/2019 दायरा दिनांक :— 15.10.2019

GCMS ID—2019/00598

बउनवान

1. किशन चंद्र आ0 दुर्गालाल जाति ब्राहम्ण निवासी ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. लक्ष्मीचंद आ0 दुर्गालाल जाति ब्राहम्ण निवासी ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. हेमराज आ0 दुर्गालाल जाति ब्राहम्ण निवासी ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. धनकंवर पुत्री दुर्गालाल जाति ब्राहम्ण निवासी ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. मंजूबाई पुत्री दुर्गालाल जाति ब्राहम्ण निवासी ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
6. जशोदा पुत्री ओंकारलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
7. भवानी शंकर आ0 चतुर्भुज जाति ब्राहम्ण निवासी ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
   7/1. कमलेश देवी पत्नी भवानीशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी ठीकरदा तह0 हिण्डोली।
   7/2. रघुनन्दन पुत्री भवानीशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी ठीकरदा तह0 हिण्डोली।
   7/3. अश्वनी कुमार पुत्र भवानीशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी ठीकरदा तह0 हिण्डोली।
   7/4. प्रियंका पुत्री भवानीशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी ठीकरदा तह0 हिण्डोली।
8. नवल किशो आ0 चतुर्भुज जाति ब्राहम्ण निवासी ठीकरदा तह0 हिण्डोली।
9. कमलाबाई पुत्री चतुर्भुज जाति ब्राहम्ण निवासी ठीकरदा तह0 हिण्डोली।
   9/1. शंभुदयाल पुत्र कमलाबाई पिता रामदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी आकोदा।
   9/2. दीनदयाल पुत्र कमलाबाई पिता रामदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी आकोदा।
   9/3. विष्णुकांता पुत्री कमलाबाई पिता रामदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी आकोदा।
   9/4. गायत्रीबाई पुत्री कमलाबाई पिता रामदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी आकोदा।
10. बरजी बाई पुत्री चतुर्भुज जाति ब्राहम्ण निवासी ठीकरदा तह0 हिण्डोली।
11. सीताबाई पुत्री चतुर्भुज जाति ब्राहम्ण निवासी ठीकरदा तह0 हिण्डोली।
12. प्रेमबाई पुत्री चतुर्भुज जाति ब्राहम्ण निवासी ठीकरदा तह0 हिण्डोली

वादीगण

बनाम

1. जगन्नाथ आ0 भूरा जाति माली निवासी ठीकरदा तह0 हिण्डोली।
2. जुवाहरीलाल आ0 भूरा जाति माली निवासी ठीकरदा तह0 हिण्डोली।
   2/1. नारायणी बाई पत्नी जुवाहरीलाल जाति माली निवासी ठीकरदा।
   2/2. भगवान पुत्र जुवाहरीलाल जाति माली निवासी ठीकरदा।
   2/3. महावीर पुत्र जुवाहरीलाल जाति माली निवासी ठीकरदा।
   2/4. गोपाल पुत्र जुवाहरीलाल जाति माली निवासी ठीकरदा।
   2/5. सुखदेव पुत्र जुवाहरीलाल जाति माली निवासी ठीकरदा।
   2/6. घीसीबाई पुत्री जुवाहरीलाल जाति माली निवासी ठीकरदा।
   2/7. कैलाश पुत्री जुवाहरीलाल जाति माली निवासी ठीकरदा।
   2/8. सुगनाबाई पुत्री जुवाहरीलाल जाति माली निवासी ठीकरदा।
   2/9. गंगाबाई पुत्री जुवाहरीलाल जाति माली निवासी ठीकरदा।
3. रामलाल पिता धन्ना जाति माली निवासी ठीकरदा तह0 हिण्डोली।
4. मोहन पिता धन्ना जाति माली निवासी ठीकरदा तह0 हिण्डोली।

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

1/4

प्रतिवादीगण

वाद पत्र :– आर0टी0एक्ट0 की धारा 183 के अन्तर्गत बेदखली बाबत।

वकील वादी :– श्री शम्भूदयाल शर्मा
वकील प्रतिवादी :– कुलदीप सिंह गौड

दिनांक :– 15/10/2025

निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा संख्या 1823 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 1833 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम ठीकरदा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी नकल संलग्न वादपत्र है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में वादी संख्या 1 लगायत 5 का 3/4 हिस्सा निहित है व वादी संख्या 6 का हिस्सा 1/12 व वादी संख्या 7 लगायत 12 का हिस्सा 1/6 दर्ज है। वादग्रस्त भूमि वादी को विरासत में प्राप्त हुई है। वादग्रस्त भूमि पूर्व में भूरी बैवा रघुनाथ, केसर बैवा माधो व मोत्या बैवा धन्ना कौम ब्राहम्ण के नाम दर्ज थी एंव तत्कालीन खातेदारान महिला होने व परिवार में पुरूष व्यक्ति नहीं होने के कारण अपनी उक्त वादग्रस्त भूमियों पर आधोली से काश्त करवाते थे। तत्कालीन खातेदारान का आधोलिया भूरा आ0 माधो माली था जिसने वादीगण के पूर्वजों की सहमति से अर्थात तत्कालीन खातेदार भूरी, केसर, मोत्या के निर्देशानुसार काश्त करते रहे, और भूमि की कृषि उपज उनको देते रहे। भूरा आ0 माधो जी के परिवार से तत्कालीन खातेदारान व वादीगण के पूर्वजों का विशेष स्नेह था और आपस में बार–त्योहार पर ओढने–पैराने का व्यवहार था इस कारण वादीगण के पूर्वजों ने व तत्कालीन खातेदारान ने भूरा आ0 माधो व उसके परिवार वालो से ही आधोली में काश्त करवाते रहे और तत्कालीन खातेदारान की मृत्यु के बाद भी वादीगण ने उक्त पुराने व्यवहार व रिश्ते का कायम रखते हुये भूरा आ0 माधो जी व उनके वारिसान से ही खेती करवाते रहे और कृषि उपज का आधा लाभ प्राप्त करते रहे है, आधोली में खर्चा आधा वादीगण अदा करते थे और आधा प्रतिवादीगण वहन करते थे और इसी क्रम में उपज आधी–आधी प्राप्त करते थे। वादीगण ने सेटलमेंट के समय संवत 2032 में भूमि पर से आधोली प्रतिवादीगण से छुडाकर वादी संख्या 1 लगायत 5 के पिता दुर्गालाल उर्फ दुर्गाशंकर खेती करने लग गये और उनकी मृत्यु तक दुर्गाशंकर जी काश्त करे रहे है, लेकिन दुर्गालाल जीकी मृत्यु 1984 में होने के बाद वादी संख्या 1 के कोई रोजगार नहीं होने से अन्य वादीगण की सहमति से वादी किशनचन्द्र खेती करने लग गया। वादी किशनचन्द्र ने संवत 2065 तक उक्त भूमि पर काश्त की, लेकिन प्रतिवादीगण ने

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

व वादीगणों से निवेदन किया कि हमारे पास कोई रोजगार का साधन नहीं है हमारे पूर्वजों से हमारे पूर्वजों का अच्छा रिश्ता रहा है, आप हमे ही वापिस भूमि पर आधोली दे दो। प्रतिवादीगण के उक्त आग्रह पर वादीगण ने संवत 2065 की खरीफ की फसल में वापिस वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण जगन्नाथ, जुवाहरीलाल, व रामलाल, मोहन को आधोली पर जुतवाई तब से प्रतिवादीगण वादीगण की सहमति व अनुमति से वादीगण की वादग्रस्त भूमि पर काश्त कर रहे है। प्रतिवादीगण के मन में बदनियती होने के कारण प्रतिवादीगण ने भूमि पर आधोली लेकर आधोली की आड में अपने पिता भूरा आ0 माधो के नाम की गिरदावरिया निकलवाकर वर्ष 2013 में प्रतिवादीगण ने वादीगण को धमकी दी कि उक्त भूमि पर हमारे पूर्वजों का जोता के रूप में कब्जा दर्ज है हम अब उक्त भूमि वापिस नहीं सम्भलायेंगे और हम ही इस पर कब्जा बनाये रखेंगे और भूमि को हमारे नाम खाते दर्ज कराने के लिए न्यायालय में दावा पेश करेगे। उक्त धमकी प्रतिवादीगण ने फरवरी 2013 में दी और उसके बाद प्रतिवादी संख्या 2 ने वादीगण के विरूद्ध खातेदारी अधिकार घोषणा का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली के समक्ष पेश कर दिया और न्यायालय से वाद के नोटिस वादीगण के नाम प्राप्त होने पर वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 3, 4 को ओलमा दिया तो उन्होंने कहा कि हम जगन्नाथ जी का समझा देंगे तथा दावा वापिस ले लेंगे और आपकी भूमि आपको अप्रेल 2014 में फसल कटने के बाद वापिस सम्भला देंगे, लेकिन प्रतिवादीगण ने भूमि वापिस नहीं सम्भलाई है और वादीगण की अनुमति के बिना अवैध रूप से जबरन जुवार–मक्का की फसल बो दी व भिण्डी की फसल लगा दी इस प्रकार प्रतिवादीगण ने वादीगण की भूमि पर जबरन अप्रेल 2014 में भूमि पर कब्जा कर लिया है। वादीगण ने भूमि छोडने के लिए कहा तो मारने पीटने पर आमादा हुये और जान से मारने की धमकी दी। यही वादी कारण है, जो वादकारण अंतिम रूप से 30.04.2014 को भूमि पर से कब्जा छोड देने से इंकार कर देने से उत्पन्न हुआ है जो निरंतर जारी है और प्रतिवादीगण अनुचित रूप से वादीगण की कृषि भूमि से लाभ प्राप्त कर रहे है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वादीगण वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल करवाकर भूमि पर वापिस कब्जा प्राप्त करें एवं ताप्राप्ति कब्जा वादीगण खातेदारान कृषि लाभ से वंचित करने से हर्जाने स्वरूप प्रतिवादीगण से 5000/–रू0 प्रति बीघा प्रतिफसल प्राप्त करें। कृषि भूमि ग्राम ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से श्रीमान को उक्त वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद अंतर्गत अवधि मध्य, निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण का वाद

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

/कार किया जाकर प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया जाकर मि खसरा संख्या 1832, 1833 वाके ग्राम ठीकरदा पर वादीगण को कब्जा सम्भलाया जावे एवं वादग्रस्त भूमि पर से प्रतिवादीगण को बेदखल किये जाने व वादीगण को कब्जा सम्भलाये जाने तक वादीगण को कृषि लाभ से वंचित करने के हर्जाने स्वरूप 5000/—रूपये प्रति बीघा प्रतिफल प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलाये जाने की डिक्री प्रदान की जावे।

उक्त प्रकरण में पूर्व में वाद संख्या 116/2014 के रूप में दर्ज रजि0 था जिसका दिनांक 22.06.2015 को निर्णय किया जा चुका था। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट पन्नालाल माली वगै0 की ओर से न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील संख्या 438/2015 बउनवान पन्नालाल बनाम रामकिशन माली वगै0 पेश करने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.08.2019 से इस न्यायालय का आदेश दिनांक 06.07.2015 निरस्त किया जाकर प्रतिवादीगण से जबाव दावा प्राप्त कर दावे व जबाव दावे के आधार पर तनकी कायम कर पुनः तनकीवार निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। व पक्षकारान को न्यायालय में आगामी पेशी पर उपस्थिति होने को पाबंद किया गया।

अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा से बाद अपील निर्णय प्रकरण प्राप्त होने पर वाद पत्र पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण (अपीलांट) को जबाव हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने पर भी जबाव पेश नहीं करने से जबाव प्रतिवादीगण बन्द किया गया। प्रतिवादीगण का जबाव बंद होने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वाद पत्र के समर्थन में वादीगण की ओर से वादी संख्या 1 किशनचद्र का शपथ पत्र व मोडूलाल शर्मा, जगदीश शर्मा, भंवरसिंह राजपूत व हेमराज शर्मा के शपथ पत्र पेश किये जो शामिल मिसल है।

हमने प्रकरण पर वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों कों दोहराते हुये कथन किया कि भूमि खसरा संख्या 1823 व 1833 कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा ग्राम ठीकरदा में स्थित है जो वादीगण की संयुक्त खातेदारी मे है। विवादित भूमि पूर्व खातेदारों के समय से आधौली पर काश्त करवाई जा रही है। विवादित भूमियों पर भूरा आ0 माधो का परिवार आधौली पर वादीगण की अनुमति से काश्त करता आ रहा था। प्रतिवादीगण के पूर्वजों से सम्वत 2032 में आधौली छुडवाकर अन्य व्यक्तियों से आधौली पर काश्त करवाई जा रही थी, लकिन प्रतिवादीगण अन्य वादीगणों से निवेदन किया कि हमारे काश्त के अलावा अन्य कोई आय का साधन नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

भूमि पर हमारे से ही काश्त करवाई जावे जिससे वादीगण ने प्रतिवादीगण पुनः आधौली पर काश्त करवाना प्रारम्भ कर दिया लेकिन प्रतिवादीगण के मन में बदनियती आ जाने से उन्होंने गिरदावरी में अपना नाम जोता के रूप में दर्ज करवा लिया व 2013 में हमें धमकिया दी कि विवादित भूमियों पर हम जोता के रूप में दर्ज है व भूमियों पर से कब्जा नहीं छोडने की धमकियां दी। यही वाद उत्पत्ति का कारण है अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को वादीगण की भूमि से बेदखल किया जावे। वादपत्र के समर्थन में विनिर्णय–डी0एन0जे0(राज0)–2000–01 पेज नम्बर–245 पेश किए।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो व साक्ष्यों एवं विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में विवादित भूमि खाता संख्या

अतः वाद वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 251 के खसरा संख्या 1823 व 1833 कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा ग्राम ठीकरदा प0म0 ठीकरदा जमाबंदी सम्वत 2067 से 2070 वादीगण की खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है, जिस पर प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होत है। वादीगण के वादपत्र का प्रतिवादीगण ने कोई खण्डन पेश नहीं किया है। वादीगण के साक्ष्य अखण्डित रही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत विनिर्णय डी0एन0जे0(राज0)–2000–01 पेज नम्बर–245 प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होता है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खाता संख्या 251 के खसरा संख्या 1823 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा व खसरा संख्या 1833 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम ठीकरदा पटवार मण्डल ठीकरदा जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 पर से प्रतिवादीगण को बेदखल किए जाने के आदेश दिए जाते है। नायब तहसीलदार दबलाना नियमानुसार प्रतिवादीगण को विवादित भूमि से बेदखल कर कब्जा वादीगण को संभलावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांकः–15.10.2025 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

15/10/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446